न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–36/2018

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date

आदेश

अंचल अधिकारी, चकाई–

प्रथम पक्ष

बनाम

श्री हाडी ताँती, पे0–स्व0 मैना ताँती– विपक्षी प्रथम
शीला देवी जौ0–मदन ताँती विपक्षी द्वितीय
रेशमी देवी जौ0–घुटरी दास– विपक्षी तृतीय
रधिया देवी जौ0–सिधेश्वर दास– विपक्षी चतुर्थ
मुलकी देवी जौ0–भीमल दास– विपक्षी पंचम
शांति देवी जौ0–ठाकुर दास– विपक्षी षष्टम
कमली देवी जौ0–लालू दास– विपक्षी सप्तम
पोदीना देवी जौ0–रामजी दास– विपक्षी अष्टम
घुटरी दास पे0–तोतो दास– विपक्षी नवम
मंजू देवी जौ0–घुटरी दास– विपक्षी दशम
शीला देवी जौ0–मदन ताँती– विपक्षी ग्यारहवी
सा0–नवादा/बटपार, अंचल–चकाई।
जिला–जमुई।

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत मामला अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–247/दिनांक–16.04.2018 जो मौजा–बाराकोला, टोला–ढेलुआ, खाता सं0–87 एवं 78, खेसरा सं0–1036 एवं 1041 रकवा क्रमशः–2.02 एकड़, 0.24 एकड़ एवं 0.34 एकड़ भूमि की जमाबंदी संख्या–176, 180 एवं 181 को रद्द करने के अनुशंसा से सबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर कर विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता अनेको तारीखों में सुनवाई पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा विपक्षी अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–17.09.2018 को अपना पक्ष रखते हुए जबाव दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, चकाई का पक्ष :–

1. भू–हदबंदी रिविजन वाद सं0–01/2013 रामशरण पंडित बनाम कमली देवी में समाहर्त्ता, जमुई के ज्ञापांक–848/विधि दिनांक–22.06.2016 में दिये गये आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, चकाई के पत्रांक–247, दिनांक–16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बाराकोला, टोला–ढेलुआ के जमाबंदी सं0–176, 180 एवं 181 की जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है।

2. मौजा–बाराकोला के खाता सं0–78, खेसरा सं0–1041 कुल रकवा–1.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है तथा खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036, रकवा–30.93 एकड़ किस्म जंगल साखू गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

3. स्थल जाँच में उपरोक्त जमाबंदी रैयतों का जमाबंदी में दर्ज भूमि पर दखल–कब्जा नहीं पाया गया।

4. उक्त सभी जमाबंदी भी किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम नहीं हुआ है।

5. जमाबंदी रैयत हाड़ी ताँती, पे0–मैना ताँती (जमाबंदी सं0–176) में मौजा–बाराकोला, टोला–ढेलुआ के खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036, कुल रकवा–2.02 एकड़ भूमि बिक्रेता राधे प्रसाद राय, पे0–स्व0 पावरीत राय, मौजा–सिमरिया, टोला–नवादा से खरीद किये है। उल्लेखनीय है कि केवाला में मात्र खाता सं0–87 दर्ज है जबकि जमाबंदी सं0–176 में खाता सं0–87 एवं 78 दर्ज है।

6. जमाबंदी सं0–180 एवं 181 के रैयतों से कागजात की मांग की गई तो उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत द्वारा दस्तावेज सं0–3406 दिनांक–13.12.2011 एवं दस्तावेज सं0–423 दिनांक–08.02.2012 की छाया–प्रति एवं जमाबंदी संख्या–180 एवं 181 से निर्गत अद्यतन वर्ष 2017–18 तक का रसीद की छाया–प्रति प्रस्तुत किया।

7. जाँच के क्रम में पाया गया कि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 में दाखिल–खारिज केश नं0–09/12–13 के अनुसार जमाबंदी सं0–75 से आया लिखा हुआ है। उक्त दोनो दस्तावेज के बिक्रेता डोमन राय के पिता दौलत राय के नाम से मौजा–बाराकोला में कायम जमाबंदी सं0–75 का अवलोकन किया तो पाया गया कि जमाबंदी सं0–75 में बिक्रय की गई का भूमि का खाता सं0–78 दर्ज नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि वर्ष 2012–13 के तत्कालीन कर्मचारी द्वारा जमाबंदी नं0–180 एवं 181 का स्वयं जमाबंदी कायम कर दिया गया है जबकि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 के जमाबंदी रैयतों का खाता सं0–78, खेसरा सं0–1041 की भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।

8. उक्त जमाबंदी संख्या–176, 180 एवं 181 जाँच के क्रम में अवैध एवं संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण रद्द करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है।

<u>विपक्षी का पक्ष :–</u>

(1) विपक्षीगण का कथन है कि वर्त्तमान कार्यवाही का आधार अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है, जो अपने में विसंगतिपूर्ण है तथा इसी आधार पर यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है।

(2) यह सही है कि विपक्षीगण द्वारा दो निबंधित वसीका दिनांक–13.12.2011 एवं 08.02.2012 के द्वारा प्रश्नगत भूमि डोमर राय बल्द दौलत राय, जो राधे प्रसाद राय के सहिस्सेदार थे तथा जिन्हें विवादित भूमि पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई थी, से तय राशि पर क्रय की गई थी।

(3) अंचल अधिकारी, चकाई के द्वारा गहन जाँच में विपक्षीगण का दखल पाये जाने एवं आपति प्राप्त नहीं होने के आलोक में दाखिल–खारिज वाद सं0–09/12–13 के द्वारा जमाबंदी सं0–180 और 181 कायम की गई तथा विपक्षीगण को बिना कोई आपति के अघतन लगान रसीद निर्गत की गई।

(4) उक्त कार्यवाही के मद्देनजर एक कपटपूर्ण तरीके से एक प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसमें दर्शाया गया कि जमाबंदी रैयत दखल में नहीं है।

(5) चूँकि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 दाखिल–खारिज वाद सं0–09/12–13 में पारित आदेश के आधार पर कायम की गई है। इसलिए यह आदेश अभी भी प्रभावी है, अतः यह जमाबंदी रद्दीकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

(6) दाखिल–खारिज वाद सं0–09/12–13 के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है तथा इस आधार पर दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कोई आवेदन नहीं है।

(7) प्रश्नगत भूमि पर कई क्रेताओं द्वारा अपना मकान बना लिया गया है तथा वे समाज के कमजोर वर्ग से आते है, इसलिए उन्हें कानून संरक्षण मिलना चाहिए।

(8) विपक्षीगण द्वारा रद्दीकरण की कार्यवाही खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्षों की सुनवाई, समर्पित लिखित बयान एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु प्रकाश में आते है :–

(1) प्रश्नगत भूमि मौजा–बाराकोला, खाता सं0–78 ,खेसरा सं0–1041, कुल रकवा–01.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में वकास्त खाते के रूप में तथा खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036, रकवा–30.93 एकड़ किस्म जमीन जंगल साखू गैरमजरूआ खास खाते के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा स्थल जाँच में जमाबंदी रैयतों की जमाबंदी में दर्ज भूमि पर दखल कब्जा नहीं पाया गया।

(3) अंचल अधिकारी द्वारा पाया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित जमाबंदी सं0–176, 180 एवं 181 बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश से कायम किया गया है।

(4) जमाबंदी सं0–176 की जमाबंदी रैयत हाड़ी ताँती, पिता–मैना ताँती, मौजा–बाराकोला, टोला–ढेलुआ के खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036 कुल रकवा–02.02 एकड़ भूमि बिक्रेता राधे प्रसाद राय, पे0–स्व0 पावरीत राय, मौजा–सिमरिया, टोला–नवादा से क्रय किया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया है कि केवाला में मात्र खाता सं0–87 दर्ज है जबकि जमाबंदी सं0–176 में खाता सं0–87 के साथ–साथ खाता सं0–78 भी दर्ज की गई है।

(5) अंचल अधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 के जमाबंदी रैयतों से कागजात की मांग करने पर उनके द्वारा दस्तावेज सं0–3406, दिनांक–13.12.2011 एवं दस्तावेज सं0–423, दिनांक–08.02.2012 की छाया–प्रति एवं जमाबंदी सं0–180 एवं 181 से निर्गत वर्ष 2017–18 के रसीद की छाया–प्रति प्रस्तुत की गई।

(6) अंचल अधिकारी के जाँच के क्रम में पाया गया कि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 में दाखिल–खारिज वाद सं0–09/12–13 के अनुसार जमाबंदी सं0–75 से आने का उल्लेख किया गया है।

(7) उक्त दोनो दस्तावेज के बिक्रेता डोमन राय, पिता–दौलत राय के नाम से मौजा–बाराकोला में कायम जमाबंदी सं0–75 के अवलोकन में पाया गया कि जमाबंदी सं0–75 में बिक्री की गई भूमि का खाता सं0–78 दर्ज ही नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि वर्ष 2012–13 के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने जमाबंदी संख्या–180 एवं 181 का स्वयं ही जमाबंदी कायम कर दिया गया है जबकि जमाबंदी सं0–180 एवं 181 के जमाबंदी रैयतो का खाता सं0–78, खेसरा सं0–1041 पर दखल–कब्जा नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी सं0–176, 180 एवं 181 को अवैध एवं संदेहास्पद प्रतीत होना मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा साक्ष्य के रूप में जमाबंदी सं0–75 एवं जमाबंदी सं0–180 एवं 181 की जमाबंदी की छाया–प्रति भी संलग्न की गई है।

जमाबंदी सं0–75 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी पर खाता सं0–78 दर्ज ही नहीं है। जमाबंदी सं0–180 में खाता सं0–78 दर्ज किया गया है परन्तु खेसरा सं0–1041 दूसरी हैडराईटिंग में दर्ज है। इसी प्रकार

जमाबंदी सं0–181 में खाता 78 एवं खेसरा 1041 अलग–अलग हैंडराईटिंग में लिखा गया है तथा जमाबंदी सं0–181 में 20डी0 को ओवर राईटिंग कर 34डी0 बनाया गया है। साथ ही दाखिल–खारिज वाद सं0–09/12–13 अंचल अधिकारी, चकाई के आदेश से लिख कर काट दिया गया है। जमाबंदी सं0–178, 176(क) हाड़ी ताँती, पिता–स्व0 मैना ताँती की जमाबंदी में अंचल अधिकारी के पत्रांक–4/03.01.04 तथा जमाबंदी सुधार वाद सं0–01/03–04 अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के जमाबंदी सुधार वाद सं0–13/84–85 द्वारा जमाबंदी सं0–77 से आने का उल्लेख किया गया है, परन्तु जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036 का रकवा ओवर राईटिंग किया गया है। किसी भी जमाबंदी पर दर्ज करने वाले प्राधिकार का हस्ताक्षर और पदनाम अंकित नहीं है।

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चकाई के प्रतिवेदन पत्रांक–247, दिनांक–16.04.2018 को दृष्टिपथ पर रखते हुए मौजा–बाराकोला के जमाबंदी सं0–176, 180 एवं 181 से खाता सं0–87, खेसरा सं0–1036 एवं खाता सं0–78, खेसरा सं0–1041 की भूमि को रद्द (विलोपित) किया जाता है। अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि तीनों जमाबंदी में तदुनसार सुधार करना सुनिश्चित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

18/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

18/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 417 /रा0, दिनांक 18.02.2020

प्रतिलिपि :–विपक्षी/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, चकाई/सरकारी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/2/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।